प्र.पी.316बी

S-8

कथन – अरविन्द सिंह ध्रुव

थाना	—	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	—	09/2015
धारा	—	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	—	अरविन्द सिंह ध्रुव पिता श्री गणेश सिंह ध्रुव
उम्र	—	44 वर्ष
पता	—	के. रोड़ मौदहा पारा बजरंग मंदिर के पास रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	—	(शासकीय) 8817903346, (निजी) 9826956641
व्यवसाय	—	स्टेनो टायपिस्ट पी.डी.एस नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, रायपुर (छ0ग0)

——00——

मैं अरविन्द सिंह ध्रुव पूछने पर बता रहा हूं कि, मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03346 तथा पर्सनल मोबाईल नंबर 98269–56641 जो मेरे नाम पर है। आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर विभिन्न दिनांक को अन्य व्यक्तियों से हुई बातों का कॉल ट्रान्सक्रिपशन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रेप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 03.02.2015 के 14:26:27 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 03.02.2015 को 14:26:57 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर श्री शिवशंकर भट्ट मैनेजर पी. डी.एस. नागरिक आपूर्ति निगम के उनके शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03600 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरी बातचीत श्री शिवशंकर भट्ट से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि धमतरी से कोई आ रहा है जिसका मतलब धमतरी के जूनियर टेक्नीकल असिसटेंट हरदीप सिंह भाटिया से था जिनके शासकीय मोबाईल नंबर का आखरी चार नंबर 3654 है। इनसे मुझे श्री शिवशंकर भट्ट के निर्देशानुसार [illegible] पैसा प्राप्त करना था। हरदीप सिंह भाटिया ने दिनांक 03.02.2015 को [illegible] किया था, जिसका उल्लेख मैंने अपने लाल रंग की डायरी के पेज नंबर 37 में दिनांक 03.02.2015 पर उल्लेख किया था।

दिनांक 03.02.2015 के 14:35:[illegible] बजे प्रारंभ होकर दिनांक 03.02.2015 को 14:35:46 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल फोन से श्री शिवशंकर भट्ट के मैनेजर पी. डी.एस. नागरिक आपूर्ति निगम के शासकीय मोबाईल नंबर [illegible] से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा [illegible] मोबाईल से हरदीप सिंह भाटिया धमतरी के जूनियर टेक्नीकल असिसटेंट की बातचीत श्री शिवशंकर भट्ट से करवाया था, जिसमें

भाटिया को कलेक्शन का पैसा मुझे दे देने हेतु भट्ट साहब के द्वारा निर्देशित किया गया था। इस निर्देश के बाद हरदीप सिंह भाटिया ने मुझे 4,50,000रू. दे दिया था।

दिनांक 04.02.2015 के 10:59:30 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 04.02.2015 के 10:59:51 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर श्री शिवशंकर भट्ट के मैनेजर पी.डी.एस. नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा शासकीय मोबाईल नंबर 88179--03500 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मुझे श्री शिवशंकर भट्ट ने कहा था कि गरियाबंद से साहू आया है। मेरे पास गरियाबंद से नागरिक आपूर्ति निगम का स्टॉफ साहू जी आये थे जिनका नाम आज मुझे याद नहीं है जिन्होंने मुझे कलेक्शन का 3,43,000रू. दिया था, जिसका उल्लेख मेरे लाल रंग डायरी के पेज नंबर 87 में दिनांक 04.02.2015 को किया गया था एवं मुझसे जप्तसुदा एक कागज के पुर्जे में भी इस रकम का उल्लेख है। इस पुर्जे में जिला गरियाबंद माह दिसम्बर 2014 में सी.एम.आर. खरीदी का हिसाब एवं रकम का उल्लेख है।

दिनांक 04.02.2015 के 14:11:30 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 04.02.2015 के 14:12:04 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर श्री शिवशंकर भट्ट के मैनेजर पी.डी.एस. नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा शासकीय मोबाईल नंबर 88179--03500 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मुझसे श्री शिवशंकर भट्ट ने गरियाबंद एवं धमतरी से प्राप्त कलेक्शन के संबंध में पूछा था जिस पर मैंने बताया था कि मुझे दो रकम मिल गई है, तब मुझे दुर्ग और बलौदा बाजार से आने वाले व्यक्तियों से रकम प्राप्त करने का कहा गया था।

दिनांक 04.02.2015 के 15:13:00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 04.02.2015 के 15:18:51 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से मोबाईल नंबर 88179--03[illegible] महेन्द्र साहू कम्प्यूटर प्रोग्रामर मुख्यालय रायपुर पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने हमारे नागरिक आपूर्ति निगम के साईट के बंद हो जाने पर उसे ठीक करने के लिये कहा था।

दिनांक 04.02.2015 के [illegible] बजे प्रारंभ होकर दिनांक 04.02.2015 के 20:18:05 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर के स्टेनो टायपिस्ट के.के. बारिक के शासकीय मोबाईल नंबर 88179-[illegible] से हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने के.के. बारिक से दिनांक 04.02.2015 को प्राप्त कलेक्शन के रकम को जोड़ने पर [illegible] दिखाई पड़ने पर पूछताछ किया था, जिस पर बारिक ने कल [illegible] में बैठ कर बात कर लेंगे कहा था।

दिनांक 05.02.2015 के 10:2[illegible] बजे प्रारंभ होकर दिनांक 05.02.2015 के 10:20:24 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर श्री शिवशंकर भट्ट के मैनेजर पी.डी.एस. नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा शासकीय मोबाईल नंबर 88179-03500 से हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में श्री शिवशंकर भट्ट ने मुझे बलौदा बाजार से नागरिक

आपूर्ति निगन के कलेक्शन लेकर आ रहे व्यक्ति के संबंध में बताया था कि उसका कॉल तुम्हारे पास आ रहा होगा।

दिनांक 05.02.2015 के 10:20:31 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 05.02.2015 के 10:21:41 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से बलौदा बाजार नागरिक आपूर्ति निगम के स्टॉफ अग्रितांशु शुक्ला कनिष्ठ सहायक से उसके शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03386 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में अग्रितांशु शुक्ला ने बलौदा बाजार के कलेक्शन रकम को छोड़ने के संबंध में बात किया था। मैंने अग्रितांशु शुक्ला को कार्यालय में आकर कलेक्शन के रकम देने से मना किया था, मुख्यालय के मोड़ पर स्थित मंदिर के पास पहुंचने पर फोन लगाने कहा था।

दिनांक 05.02.2015 के 12:33:50 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 05.02.2015 के 12:34:30 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर बलौदा बाजार नागरिक आपूर्ति निगम के स्टॉफ अग्रितांशु शुक्ला कनिष्ठ सहायक से उसके शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03386 से हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में अग्रितांशु शुक्ला ने मुझे फोन किया था तब मैंने उसे बताया था कि मैं नेताजी चौक से श्री अजीत जोगी के बंगले के तरफ जाते हुए सूर्या अपार्टमेंट के सामने खड़ा हूं तथा गाड़ी का नंबर 6050 कार का नंबर बताया था। यह कार नागरिक आपूर्ति निगम का पूल वाहन है। मुझे अग्रितांशु शुक्ला के द्वारा दिनांक 05.02.2015 को कलेक्शन की रकम 1,88,500रू. दिया गया था , जिसका उल्लेख मैंने मुझसे जप्त लाल रंग डायरी के पेज नंबर 87 में दिनांक 05.02.2015 को किया गया था एवं मुझसे जप्तशुदा एक कागज के पुर्जे में भी कलेक्शन की रकम का उल्लेख है, जिसमें 1,88,700रू. लिखा गया है किन्तु बाद में गिनने पर वह 200रू. कम होने से मैंने डायरी में 1,88,500रू. लिखा है।

दिनांक 05.02.2015 के 17:57:48 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 05.02.2015 के 17:59:32 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से जिला प्रबंधक कांकेर श्री अशोक सोनी के मोबाईल नंबर 98269–20722 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने श्री अशोक सोनी से कलेक्शन रकम जो उनसे मैंने प्राप्त किया था के संबंध में पूछताछ किया था। श्री अशोक सोनी ने मुझे [illegible] का कलेक्शन 1,40,000रू. एवं कांकेर का कलेक्शन रकम 4,00,000रू. का कर दिया था। इस संबंध में मैंने उनसे पुष्टि किया था। इस रकम का उल्लेख मुझसे जप्त एक लाल रंग के डायरी के पेज नंबर 87 पर दिनांक 03.02.2015 में उल्लेख किया है।

दिनांक 12.02.2015 के 12:12:24 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 12.02.2015 के 12:13:02 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर श्री अनिल टुटेजा प्रबंध संचालक के पी.ए. गिरीश शर्मा से कार्यालय के लेंड–लाईन नंबर 0771–405[illegible]211 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में एक दिन पहले मुझसे व्यक्तिगत रूप से गिरीश शर्मा द्वारा एम.डी. को दिये जाने वाले 20 लाख रुपये देने के लिये कहा था। इसी संबंध में गिरीश शर्मा ने मुझसे फोन पर 20 लाख रुपये की मांग किया था। फोन पर हुई वार्तालाप के अनुसार मैंने गिरीश शर्मा को 20 लाख रुपया दे दिया था और एक पर्ची में नोट किया

था। मेरे पास से दिनांक 12.02.2015 को जप्त किये गये पर्चीयों में से एक पर्ची जिसमें दिनांक 12.02.2015 को एम.डी. 20 दिया, बारिक 5,000 लिखा है, वही पर्ची है, जिसमें मैंने एम.डी. के 20 लाख रूपये गिरीश शर्मा को दे कर नोट किया था।

दिनांक 12.02.2015 के 12:15:22 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 12.02.2015 के 12:16:30 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर के पूल वाहन के ड्राईवर अविनाश दीक्षित के शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03429 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने अविनाश दीक्षित से तत्काल गाड़ी लेकर मुख्यालय पहुंचने कहा था।

दिनांक 12.02.2015 के 12:17:15 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 12.02.2015 के 12:18:11 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से मेरे भाई अनिल सिंह ध्रुव के मोबाईल नंबर 96695–04760 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने अनिल सिंह ध्रुव को अपने मौदहा पारा स्थिति घर में रखे 20 लाख रूपये को अपने भतीजे आशु के बैग में पेक करके रखने को कहा था।

दिनांक 12.02.2015 के 12:44:14 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 12.02.2015 के 12:44:33 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से मेरे भतीजे आशु से भाई अनिल सिंह ध्रुव के मोबाईल नंबर 96695–04760 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने अपने भतीजे आशु को घर पर रखे एक बैग को मौदहा पारा स्थित हांडी वाले बाबा के मजार के पास ले कर आने के लिये कहा था। यह वही बैग था जिसमें 20 लाख रूपये रखे थे और जिसके संबंध में कुछ देर पहले मेरी अपने भाई अनिल सिंह ध्रुव से मोबाईल पर बात हुई थी। आशु ने वह बैग मजार के पास लाकर मुझे दिया था और मैंने ऑफिस पहुंचकर गिरीश शर्मा के चेम्बर में जाकर बैग में रखे 20 लाख रूपये निकाल उसे दे दिया था।

दिनांक 12.02.2015 के 13:13:16 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 12.02.2015 के 13:18:48 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से भाई अनिल सिंह ध्रुव के मोबाईल नंबर पर आशु से हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने मौदहा पारा मजार के पास आशु से बैग लेकर वापिस ऑफिस जाते समय रास्ते में फोन करके आशु से पूछा कि नोट सही गिन कर रखा है या नहीं। आशु ने बताया था कि सही गिना कर रखा है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 19.03.2015

[illegible]
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़